

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, आगरा।

विज्ञप्ति वास्ते यूपीएस बैटरी

निविदा सूचना।

जनपद न्यायालय आगरा के कम्प्यूटर सिस्टम के यूपीएस0 (12 बोल्ट 26 ए0एच0) की 238 बैटरी जिसकी कम से कम दो वर्ष की आनसाइट वारण्टी (Onsite Warranty) हो, के क्रय हेतु तथा पुरानी बैटरी (12 बोल्ट 26 ए0एच0) को बापस खरीदने हेतु सीलबन्द निविदायों दिनांक 10.02.2016 को दोपहर 12.00 बजे तक जनपद न्यायालय स्थित कम्प्यूटर सैल में आमंत्रित की जाती है। नियत समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्राप्त निविदायें उसी दिन दोपहर 02.00 बजे समिति के समक्ष सभा कक्ष जनपद न्यायालय आगरा में खोली जायेगी। निविदा हेतु धरोहर धनराशि मु0 5,000/- का डी0डी0 जो जनपद न्यायाधीश आगरा के नाम देय होगा कम्प्यूटर सैल में जमा कराना होगा। जो निविदा स्वीकृत न होने की दशा में निविदाकर्ता को वापस कर दिये जायेगे।

बैटरियों का विवरण व नियम व शर्तें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आफिसियल वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in एवं जनपद न्यायालय आगरा की आफिसियल वेबसाइट www.ecourts.gov.in/agra पर उपलब्ध है। निविदा के नियत व शर्तें उपरोक्त वेबसाइट, केन्द्रीय नाजिर के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचना पट पर चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित।

- 1- नोटिस बोर्ड, नजारत, जजी, आगरा
- 2- नोटिस बोर्ड, कलैक्ट्रेट, आगरा
- 3- नोटिस बोर्ड, कमिश्नरी, आगरा
- 4- नोटिस बोर्ड, ए.डी.ए., आगरा
- 5- नोटिस बोर्ड, नगर-निगम, आगरा
- 6- नोटिस बोर्ड, पी0डब्लू0डी0, आगरा
- 7- नोटिस बोर्ड, जनसूचना सर्म्पक अधिकारी आगरा
- 8- नोटिस बोर्ड, नजारत, तहसील सदर आगरा

(निरंजन चन्द्र पाण्डे)
सदस्य
अपर जिला जज न्याया
न्यायालय संख्या-14, आगरा

(दिनेश कुमार शर्मा)
सदस्य
अपर जिला जज
न्यायालय संख्या-10 आगरा।


(ए0के0त्रिपाठी)
सदस्य
वि.न्या.एस.सी.एस.टी एक्ट
आगरा।


(अजीत सिंह)
अध्यक्ष
अपर जिला जज
न्यायालय संख्या-01आगरा।


कार्यालय जनपद न्यायाधीश आगरा।


यूपीएस बैटरी हेतु निविदा आमंत्रित किये जाने के लिये नियम व शर्तें

- 01-निविदा की नियत तारीख और समय के उपरान्त प्राप्त निविदायें किसी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 02-उक्त टैण्डर दिनांक 10.02.2015 को समय 02.00 बजे तक कय समिति के समक्ष खोले जायेगे। यदि निविदा के किसी भी स्तर पर कोई जानकारी मिथ्या/झूठी पाई जाती है तो उक्त निविदा तुरन्त अस्वीकार की जायेगी और आगे मान्य नहीं होगी।
- 03-उक्त टैण्डर प्रक्रिया में चयनित निविदाकार द्वारा केन्द्र/राज्य द्वारा सेवाकर/वैट एवं अन्य कर स्वयं उत्तरदायी होगा। उक्त सम्बन्ध में जनपद न्यायालय आगरा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 04-निविदाकार बैटरी के निर्माण/अधिकृत वितरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आवश्यक होगा तो सत्यापन भी किया जायेगा।
- 05-चयनित निविदाकार की यह भी जिम्मेदारी होगी कि संविदात्मक फर्म के द्वारा मरम्मत वारण्टी/गारण्टी के अवधि के दौरान गैर कार्यात्मक बैटरी को बदलेगें।
- 06-चयनित निविदाकार यह भी जिम्मेदारी होगी कि नई बैटरियों की स्थापना योग्य तकनीशियनों द्वारा ही किया जाये तथा बैटरी स्थापना में किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, खर्च की पूर्णता जिम्मेदारी स्वयं निविदाकार की होगी।
- 07-समस्त बैटरी आपूर्ति कर्ता को कम्प्यूटर अनुभाग में स्वयं अपने व्यय/खर्च पर पहुंचाकर न्यायालय में स्थापित करनी होगी।
- 08-स्वीकृत निविदा दायक द्वारा मु0 15,000/- की एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 जो जनपद न्यायाधीश आगरा के नाम बन्धक होगी जमा करानी होगी।
- 09-टैण्डर स्वीकृत होने की दशा में 20 दिन के अन्दर समस्त बैटरियों को अपने व्यय पर न्यायालय में स्थापित करना होगा। अन्यथा 20 दिन के उपरान्त प्रथम टैण्डर दाता की धरोहर धनराशि जब्त करके, अन्य शर्तें पूरी होने उपरान्त द्वितीय टैण्डर दाता के पक्ष में छोड़ दी जायेगी।
- 10-आवेदक को टैण्डर के साथ बैटरी का मूल्य व मॉडल व ब्राण्ड का नाम भी अंकित कर संलग्न करना होगा।
- 11-किसी भी टैण्डर को निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश आगरा को होगा।
- 12-किसी भी गैर अनुपालन निविदा को अस्वीकार कर दिया जायेगा।
- 13-किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय आगरा होगा।


(निरंजन चन्द्र पाण्डे)
सदस्य
अपर जिला जज न्याया


(दिनेश कुमार शर्मा)
सदस्य
अपर जिला जज


(र0के0त्रिपाठी)
सदस्य
वि.न्या.एस.सी.एस.टी एक्ट


(अजीत सिंह)
अध्यक्ष
अपर जिला जज

